न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास — श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रतनाराम पुत्र हरिराम जाति जाट टाडा निवासी डांगावास पता कुआं पर ढाणी डांगावास तहसील मेडता जिला नागौर।		1 तहसीलदार मेडता, तहसील मेडता जिला नागौर। 2 पटवारी हल्का डांगावास तहसील मेडता जिला नागौर। 3 भारत प्रकाश पुत्र रतनाराम जाति जाट टाडा 4 कमलकिशोर पुत्र रतनाराम जाति जाट टाडा निवासीगण डांगावास पता कुआं पर ढाणी डांगावास, तहसील मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति :—

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 01 व 02 की ओर से।
3. सुश्री आरती पंवार अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।
4. सुश्री सुषमा कच्छावा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02.04.2026

{1}—अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा डांगावास के नामान्तरकरण सं. 2919 निर्णय दिनांक 05.09.2014 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.12.24 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 07.01.2025 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से श्री आमेप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से सुश्री आरती पंवार ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से सुश्री सुषमा कच्छावा ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा डांगावास के नामान्तरकरण संख्या 2919 की फोटोप्रति व बेचाननामा दिनांक 20.08.14 की पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

{2}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट ने उक्त भूमि रास्ते बाबत ही खरीद की थी एवं विक्रय पत्र में भी यह अंकित है कि भूमि रास्ते के उपयोग हेतु खरीद की गई है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील में उक्त खरीद की गई भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के निजी खातेदारी के रास्ते के रूप में अंकित की जानी चाहिए थी एवं भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता अंकित किया जाना था। उक्त तथ्यों की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। मगर हाल ही में कुछ समय पूर्व अपीलांट की खातेदारी की भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा सडक निकाले जाने पर अपीलांट की भूमि का मुआवजा अपीलांट को नहीं दिये जाने एवं अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की, तब अपीलांट को प्रथम बार नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी हुई। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि—

{2}(I)— परिशिष्ट क नजरी नक्शा में दर्शित जमीन मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ रास्ता हेतु 5.2 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान में दिनांक 20.08.14 को खातेदार सुनीता धर्मपत्नी स्व. रामदेव जाट से रास्ते हेतु खरीद की। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2014 में भी यह अंकित किया हुआ है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा उक्त भूमि रास्ते हेतु ही खरीद की है। उक्त विक्रय पत्र के पेज संख्या 2 में भी यह अंकित है कि खसरा नम्बर 2477 मे से 0.4262 हैक्टयर (5.2 बीघा) जमीन आथुना दिखनादा भाग की

02/4/26

अपर कलक्टर, नागौर

रास्ता हेतु मैंने आज दिन आपसे 5,61,000/– रूपये नकदी प्राप्त करके बेचान की है। इस जमीन का नाप मौके पर 17 फुट चौडा रास्ता पश्चिमी माठ के सहारे सहारे तथा 48 फुट चौडा रास्ता दिखनादी माठ के सहारे सहारे अपीलांट को दिया। जो खरीद शुदा रास्ता परिशिष्ट क नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी, एफ से दर्शित है। किन्तु उक्त रास्ते के संबंध में खरीद की गई भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की खातेदारी का स्वीकृत कर दिया, जबकि नामान्तरकरण रास्ते के संबंध में स्वीकृत करना चाहिए था, किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने नामान्तरकरण के कॉलम 12 में भूमि की किस्म गै. मु. चाही 2 अंकित कर दी। जबकि इस कॉलम में गे.मु. रास्ता अंकित करना चाहिए था। इस प्रकार खसरा नम्बर 2477 मे से अपीलांट द्वारा रास्ते बाबत खरीद की गई भूमि के नये खसरा नम्बर 3284/2477 अंकित किया। जो राजस्व रेकर्ड खेतौनी में अपीलांट का गे.मु. रास्ता दर्ज करना चाहिए था। जो नहीं कर भूमि की किस्म चाही 2 अंकित कर दी गई। इस कारण अपीलांट को उक्त रास्ते के संबंध में खरीद गई भूमि के नामान्तरकरण व राजस्व रेकर्ड में चाही 2 के स्थान पर गै. मु. रास्ता अंकित किये जाने हेतु उक्त नामान्तरकरण अपील पेश की गई।

{2}(II)– अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा दिनांक 30.08.2014 को रास्ते के संबंध में खरीद की गई उक्त भूमि को हल्का पटवारी ने नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से तरमीम भी कर दिया। जिसकी अटेस्टेड फोटो प्रति अपील के साथ पेश की गई। जिससे स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 2477 मे से अपीलांट द्वारा पश्चिमी दक्षिणी तरफ की रास्ते हेतु खरीद की गई भूमि को तरमीम किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा भूमि रास्ते हेतु खरीद की गई, किन्तु इसके बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 2919 स्वीकृत करते समय भूमि की किस्म गे.मु. रास्ता अंकित नहीं किया गया। इस कारण भी नामान्तकरण जैर अपील निरस्त कर भूमि की किस्म गे.मु. रास्ता अंकित किये जाने हेतु उक्त अपील पेश की गई।

{3}–रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि उक्त नामान्तरकरण सरंपच ग्राम पंचायत डांगावास द्वारा स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्व सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है, जिससे उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा डांगावास के नामान्तरकरण सं. 2919 निर्णय दिनांक 05.09.2014 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तकरण ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्व विधिक रूप से अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

{5}–उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/4/16

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर